पत्रांक : 11/नि2–13/91 (खण्ड) अंश–III 626

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक :

आर०बी० चौधरी,
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम
सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत।

पटना, दिनांक : 4/4/, 2015

विषय : राजकीय/राजकीयकृत/अल्पसंख्यक एवं प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2014–16 में +2 में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम अन्तर्गत संगीत/कम्प्यूटर शिक्षक के नियोजन के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 80 एवं 81 दिनांक 16.01.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि प्रसंगाधीन पत्रों द्वारा संगीत एवं कम्प्यूटर विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु दिनांक 26.02.2015 तक संबंधित नियोजन इकाईयों में अभ्यावेदन प्राप्त किये गये हैं। नियोजन के संबंध में विस्तृत सूचना बाद में देने का निदेश दिया गया थ।

प्रसंगाधीन पत्र द्वारा चतुर्थ चरण अन्तर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के क्रम में निम्नांकित निदेश के साथ नियोजन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है :–

1. अगर जिला परिषद एवं निकाय द्वारा औपबंधिक/अंतिम मेधा सूची का अनुमोदन नहीं किया जाता है, तो औपबंधिक सूची/अंतिम मेधा सूची अंतिम रूप से माना जायेगा।
2. अगर अभ्यर्थी उपस्थित रहता है, परन्तु अध्यक्ष अनुपस्थित रहते है अथवा नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं करते है, तब वैसी स्थिति में यह माना जाएगा कि नियुक्ति की स्वीकृत प्राप्त है।
3. जिला परिषद् नगर निकाय के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि निर्दिष्ट तिथि को औपबंधिक/अंतिम मेधा सूची का अनुमोदन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वह एक सप्ताह के अन्दर नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगें अन्यथा उनके विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति में निम्नलिखित संशोधित तालिका के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

1.	औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन	–	07.04.2015
2.	मेधा सूची पर आपत्ति	–	08..04.2015 से 22.04.2015
3.	आपत्तियों का निराकरण	–	27.04.2015
4.	मेधा सूची का अनुमोदन एवं अंतिम प्रकाशन–		30.04.2015

नगर निगम	–	05.05.15
नगर परिषद	–	05.05.15
नगर पंचायत	–	05.05.15
जिला परिषद	–	07.05.15

F/LetterHindi01.01.15

नियोजन इकाई द्वारा सूचना का प्रकाशन संबंधित जिले के NIC के बेवसाइट पर किया जाना अनिवार्य है। नियोजन से संबंधित नियमावली, विस्तृत निदेश एवं प्रपत्र आदि विभागीय वेब–साईट www.educationbihar.gov.in पर देखा या डाउनलोड किया जा सकता है।

अतः उपर्युक्त कार्यक्रम के आलोक में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को संपन्न करते हुए क्रमशः अधोहस्ताक्षरी (directorse.edu@gmail.com) एवं सबंधित पदाधिकारी (ajit.kumar9192@gmail.com) के ई–मेल पर उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/– 11.5.15

(आर०बी० चौधरी)

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक–11/नि2–13/91 (खण्ड) अंश–III 626 पटना, दिनांक 11/5/ 2015

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/– 11.5.15

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)